

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. ब्रह्म लाल जाट आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 230/2020 – निगरानी

ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा बनाम

1. रंगलाल पिता छीतर लाल कुमावत निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् पट्टा निरस्त कराये जाने बाबत्

उपस्थित –

1. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. विपक्षी संख्या 01 स्वयं उपस्थित



निर्णय

दिनांक 04.09.2023

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत परासौली के अन्दर हल्का आबादी क्षेत्र मे स्थित भूखण्ड का आवासीय पट्टा निरस्त करने को जारी किया गया है जो कि अवैध होकर शून्य प्रभावी है। तथाकथित

बताकर ग्राम पंचायत में 200/-रूपये जमाकर ग्राम पंचायत परासौली के नाम से पट्टा जारी कर दिया, जिस पर ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किशन नायक के पट्टों पर कोई हस्ताक्षर नहीं हैं। इस बाबत पूर्व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किशन नायक द्वारा एक आम सूचना राजस्थान पत्रिका में दिनांक 22/11/2020 को प्रकाशन कराई जिसमें सर्वसाधारण को सूचित करते हुए यह अंकन किया कि ग्राम पंचायत के डुब क्षेत्र व अन्य आबादी भूमि के खसरा नम्बर/ आराजी नम्बर 13 तैरह, 8 आठ, 1502 पन्द्रह सो दो, 1503 पन्द्रह सो तीन की भूमि में पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किये गये ग्राम पंचायत के स्वामित्व में खाली भूखण्ड है यदि कोई व्यक्ति पुरानी तारीख के फर्जी पट्टे प्राप्त करता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है यह पट्टे खारीज योग्य होकर उक्त भूमि के पट्टे प्रक्रियात्मक नहीं है। पंचायत समिति में जमा रिकॉर्ड अनुसार गायब पट्टों की प्रतियां पर प्राप्तकर्ता व सचिव के हस्ताक्षर नहीं हैं। निवेदन है कि प्रार्थी/निगराकार का निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 का स्वीकार फरमाया जाकर तथाकथित पट्टा दिनांक 05/09/2019 को विपक्षी संख्या 01 एक के नाम पर जारी किया जिसे निरस्त फरमाया जावे।



बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा दिनांक 05.09.2019 की सत्यापित का परीक्षण करने पर जाहिर होता है कि पट्टे पर न तो सरपंच के हस्ताक्षर हैं एवं न ही सचिव के हस्ताक्षर हैं। जिससे प्रश्नगत पट्टा विधिक रूप से पूर्णतया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता है कि तत्कालीन ग्राम विकास

उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। यह पट्टे खारीज योग्य होकर उक्त भूमि के पट्टे प्रक्रियात्मक नहीं है। पंचायत समिति में जमा रिकॉर्ड अनुसार गायब पट्टों की प्रतियों पर प्राप्तकर्ता व सचिव के हस्ताक्षर नहीं हैं। जिनकी निगरानिया दर्ज हैं।

उक्त आम सूचना प्रकाशन के उपरांत एवं इस न्यायालय द्वारा सम्मन नोटिस तामील होने के पश्चात् भी गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से निगरानी एवं आम सूचना के खण्डन में कोई प्रत्युत्तर एवं साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं हुये। जिससे न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के मध्येनजर यह सिद्ध होता है कि उक्त प्रश्नगत पट्टा पूर्णतया कूटरचित एवं फर्जी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की उल्लंघना कर गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरुद्ध तरीके से जो पट्टा दिनांक 05.09.2021 को जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता है एवं विधि विपरीत पट्टे को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव—

### आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत परासोली द्वारा जारी पट्टा दिनांक 05.09.2019 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति आसीन्द एवं ग्राम पंचायत परासोली पंचायत समिति आसीन्द को प्रेषित किया जावे।